न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 792/2015

निर्णय दिनांकः– 11/04/2017

1. रामरतन पुत्र छीतर जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर ।
2. उपतहसीलदार माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. सुवालाल पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम किशोंरपुरा तहसील फागी।
4. रामदेव पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम किशोंरपुरा तहसील फागी।
5. ज्याना देवी पत्नि रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम किशोंरपुरा तहसील फागी।

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

–:: प्रार्थना पत्र बाबत् किये जाने तरमीम नक्शा ट्रेस ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 11.04.2014

प्रकरण के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि ख0न0 395/12 रकबा 07 बीघा वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसको प्रार्थी पूर्व खातेदार जगदीश, रामेश्वर पिसरान भूरा कौम खाती निवासी गोकुलपुरा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.08.1986 को क्रय की थी उसके पश्चायत उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज हुई तब से प्रार्थी उक्त भूमि का रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। ख0न0 395 जो काफी बडा रकबा था जो सिवायचक था जिसमें से कई व्यक्तियों की भूमि आवटन हुई थी। और आवंटन के पश्चायत जिस व्यक्ति को जहां भूमि आवन्टित की गई उसका नक्शा ट्रेस में दर्शाते हुये उसकी कृषक की पास बुक जारी की गई उपरोक्त भूमि पूर्व में खातेदार जगदीश, रामेश्वर पुत्र भूरा को आवण्टित हुई थी। जिसको दिनांक 24.12.1972 को खाता नम्बर 78 भूरा पुत्र श्योनारायण कौम खाती के नाम की खसरा नम्बर 395/12 की पास बुक जारी हुई जहां उक्त भूमि उसे आवन्टित की गई उसका नक्शा ट्रेस पास बुक के साथ जारी किया गया। प्रार्थी योम क्रय से उपरोक्त भूमि ख0न0 395/12 जो पास बुक के साथ नक्शा ट्रेस जारी हुआ था उसके

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

लगातार.....2

अनुसार पूर्व खातेदारों ने प्रार्थी को कब्जा सम्भला दिया तब से प्रार्थी उक्त जगह मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है।ख0न0 395 में से जो भूमि विभिन्न व्यक्तियों को आवण्टित की गई थी उसमें उनको बटटा नम्बर डालते हुये खातेदारी जारी की गई। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 395/12 का नक्शा ट्रेस में इन्द्राज नही किया गया। जहा प्रार्थी काबिज काश्त है।ख0न0 395/12 का नक्शा ट्रेस में ख0न0 395/8 के लगवा पश्चित दिशा में नक्शा ट्रेस में जारी पास बुक अनुसार इन्द्राज किया जाना चाहिये था जो नही किया गया। प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि का नक्शा ट्रेस में विधिवत इन्द्राज नही होने से वह अपनी उक्त भूमि का सही रूप से उपजाउ व उन्नत करने से वंचित हो रहा है। तथा सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहा है। प्रार्थी को दिनांक 25.06.2015 को जानकारी होते ही उसने प्रतिवादी के यंहा उसकी खातेदारी भूमि का विधिवत नक्शा ट्रेस में इन्द्राज किये जाने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा कहा गया की वह विधिवत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे जिस पर प्रार्थी के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्क हुआ।अन्य सहखातेदार जिनको भी भूमि आवण्टन हुई थी उनका भी नक्शा ट्रेंस में इन्द्राज नही होने से व आयेदिन प्रार्थी जहा काबिज है कि भूमि पर अपनी भूमि होना बताते हूयें कब्जा करने पर उतारू रहते है। जिस पर भी प्रार्थी के लिये आवश्क हुआ कि वह अपनी भूमि का विधिवत नक्शा टेंस में इन्द्राज करावे। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का वाद कारण दिनांक 25.06.2015 को प्रतिवादी के यहा चाराजोही करने तथा उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही किये जानें बाबत कहने पर उत्पन्न हुआ जिस पर प्रार्थना पत्र अन्दरमियाद प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। दिनांक 08/10/2015 को सुवालाल, रामदेव, ज्याना पुत्रान रंगलाल की और से वकील श्री ओमप्रकाश शर्मा ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 पेश किया। जिसे दिनांक 26.04.2016 को स्वीकार कर उक्त को प्रार्थना पत्र में पक्षकार कायम किये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

पैरोकार सरकार ने अपने जबाब मे अंकित किया की अप्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में अंकित ख0न0 395/12 प्रार्थी द्वारा कय की गई है वर्तमान में मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2070–73 के अनुसार रामरतन पुत्र छीतर जाति जाट सा. किशोरपुरा के नाम रिकोर्ड दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अंकित ख0न0 नम्बर 395 में कुल 22 बटे नम्बर डले हुए है जिनका कुल रकबा 114बीघा 02 बिस्वा है जिसमें नक्शा लटठा में सिर्फ

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

395/2, 395/3, 395/4, 395/5, 395/6, 395/8 की ही तरमीम है शेष नम्बरान की कोई तरमीम नही है। उक्त ख0न0 395 के सभी खातेदारों की तरमीम शेष है जो आवंटन के वक्त का तरमीम नक्शा उपलब्ध ना होने के कारण किया जाना संभव नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पासबुक छायाप्रति एवं फर्द मौका के अनुसार प्रार्थी 395/8 के पूर्व की और काबिज काश्त है।

अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 की और से जवाब प्रस्तुत किया तथा अपने जवाब के तथ्यों में बताया की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम गोकुलपुरा में तहसील फागी में स्थित है शेष कथंन अप्रार्थी की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी उक्त मद में यह स्पष्ट नही किया कि ख0न0 395 का कुल रकबा सिवायचक किंतना था तथा किस किस व्यक्तियों को कुल रकबे में कब कब एवं कितनी कितनी भूमि आवंटन एवं नियमन हुई। पूर्व आवंटी भूरा पुत्र श्योनारायण खाती का उक्त भूमि पर उक्त स्थान पर जहॉ प्रार्थी रंगलाल चाहता है वहॉ कभी कब्जा नही रहा है ।प्रार्थना पत्र का मद न0 3 जिस प्रकार से लिखा गया है सरासर गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि रामरतन का उक्त क्रय शुदा आराजीयात ख0न0 395/12 रकबा 7 बीघा पर कब्जा नही होने से ग्राम पंचायत ने प्रार्थी का नामान्तकरण खारिज किया है ।बल्कि ख0न0 395/12 उक्त ख0न0 395 के अन्तिम पश्चित दिशा में है तथा मिन अप्रार्थी का ख0न0 120 व 121 के सींव जोड उतर में है। मद न0 4 मे यह भी गलत है कि ख0न0 395/12, ख0न0 395/8 के लगवा है बल्कि ख0न0 395/8 के लगवा मिन अप्रार्थीगण का खातेदारी का ख0न0 395/9 मौके पर है। ख0न0 395/12 उक्त ख0न0 395 के सबसे पश्चिम भाग पर स्थित है। प्रार्थना पत्र का मद न0 5 जिस प्रकार से लिखा गया है सरासर गलत है दिनांक 25.06.2015 का वाका मनगढत बनावटी है जबकि पूर्व में इसी ख0न0 395/12 का नियमित वाद इन्ही पक्षकारो के बीच वर्ष 1988 में किया जो प्रार्थी रामरतन का दावा व टी आई मेरिट पर खारिज हो चुका है। दिनांक 25.06.2015 में प्रार्थी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। तथा अपने जवाब के अतिरिक्त कथंन में बताया की विवादित भूमि ख0न0 395/12 के सम्बन्ध में पूर्व में ए0सी0एम0 दूदू के यहॉ प्रार्थी रामरतन का दावा/ टीआई मिन अप्रार्थीगण के पिता रंगलाल के विरूद्व प्रस्तुत किया वह खारिज हो चुका है। रंगलाल ने पूर्व में जो इसी भूमि के विवाद मौका रिपोर्ट गिरदावर की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार की जॉच आदि तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को मुगालते देकर यह प्रार्थना पत्र झुठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही नही आया है इसलिये प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

दोहराते हुये बताया कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 395/12 रकबा 07 बीघा वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसको प्रार्थी पूर्व खातेदार जगदीश, रामेश्वर पिसरान भूरा कौम खाती निवासी गोकुलपुरा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.08.1986 को क्रय की थी उसके पश्चायत उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज हुई तब से प्रार्थी उक्त भूमि का रिकोर्डड काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। ख0न0 395 जो काफी बडा रकबा था जो सिवायचक था जिसमें से कई व्यक्तियों की भूमि आवटन हुई थी। और आवंटन के पश्चायत जिस व्यक्ति को जहां भूमि आवन्टित की गई उसका नक्शा ट्रेस में दर्शाते हुये उसकी कृषक की पास बुक जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया की पूर्व में इसी ख0न0 395/12 का नियमित वाद इन्ही पक्षकारो के बीच वर्ष 1988 में किया जो प्रार्थी रामरतन का दावा व टी आई मेरिट पर खारिज हो चुका है। दिनांक 25.06.2015 में प्रार्थी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। तथा अपने जवाब के अतिरिक्त कथंन में बताया की विवादित भूमि ख0न0 395/12 के सम्बन्ध में पूर्व में ए0सी0एम0 दूदू के यहॉ प्रार्थी रामरतन का दावा/ टीआई मिन अप्रार्थीगण के पिता रंगलाल के विरूद्व प्रस्तुत किया वह खारिज हो चुका है। रंगलाल ने पूर्व में जो इसी भूमि के विवाद मौका रिपोर्ट गिरदावर की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार की जॉच आदि तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को मुगालते देकर यह प्रार्थना पत्र झुठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ,ख0न0 395/12 की तरमीम वर्तमान नक्शा में अंकित ख0न0 395/8 के लगवा पूर्व दिशा में करने का निवदेन किया है। लेकिन प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है जिससे की प्रार्थी के अनुतोष को स्वीकार कर ख0न0 395/8 के लगवा पूर्व दिशा में ख0न0 395/12 की तरमीम की जा सके। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व करने में असफल रहा है, इसलिए उक्त तथ्यो के आधार पर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् किये जाने तरमीम नक्शा ट्रेस खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 118 भू–राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सावन कुमार गायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर